संख्या-13-2025-डीएफए-1152352-38-7002-003-1-2021

प्रेषक,

अजय कुमार मिश्र,

अनु सचिव,

उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास,

उ0प्र0, लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08-07-2025

विषय- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 सोशल आडिट यूनिट के संचालन हेतु प्रथम भाग की प्रथम किश्त की धनराशि के आवंटन आदेश निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-467/सो0आ0नि0/101(3)/2024, दिनांक 20-06-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-14037/04/2025-आरई-।(392040) एसआई.नं0 06, दिनांक 19-06-2025 द्वारा सोशल आडिट यूनिट के संचालन हेतु निर्गत की गयी प्रथम भाग की प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 12,39,85,000/- (रूपये बारह अरब उनतालीस करोड़ पच्चासी हजार मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और

http://shasanadesh.up.gov.in

फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा तथा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(4) आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(5) वित्तीय स्वीकृति के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आकड़ों की शुद्धता व धनराशि की

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुमन्यता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(8) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि पर बैंक द्वारा अब तक अर्जित ब्याज का व्यय/उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरुप किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) धनराशि के आहरण व व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के राजकोष से आहरण में किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो, को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में भारत सरकार के स्वीकृति पत्र दिनांक 19-06-2025 में निहित शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://grasanadesh.up.gov.in

(15) योजना के सुचारु संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रकरण में अपेक्षित अन्य प्रशासनिक शर्तों के समावेश व उसकी पुष्टि की जिम्मेदारी आयुक्त, ग्राम्य विकास की होगी।

(16) उक्त धनराशि आहरित कर सोशल आडिट निदेशालय के लखनऊ स्थित निम्न बैंक एकाउण्ट में हस्तान्तरित की जायेगी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

बैंक का नाम - पंजाब नेशनल बैंक, पीसीएफ भवन , लखनऊ
खाता धारक का नाम - निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0
खाता संख्या- 4740000100017558
आईएफएसी कोड- PUNB 0474000

(17) वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 12,39,85,000/- (रूपये बारह अरब उनतालीस करोड़ पच्चासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक 4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-02-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-0202-सोशल आडिट" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनाँक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

संख्या-13-2025-डीएफए-1152352-38-7002-003-1-2021तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

http://sansadesh.up.gov.in

(1) श्री संजय कुमार, निदेशक(मनरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली ।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(4) निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) अपर आयुक्त (वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
(9) स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन-1/2
(10) ग्राम्य विकास अनुभाग-3
(11) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in